



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082026-275323
CG-DL-E-08082026-275323

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4227]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 4227]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4405(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में NH361H के कि.मी. 38.06 से कि.मी.39.813 (जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, लातूर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, औसा-रेणापूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में NH361H के कि.मी. 38.06 से कि.मी.39.813 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: लातूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रेनापुर					
गांव का नाम: पानगाव					
1	423	निजी	एग्रीकल्चर (423)	0.7816 (हेक्टेयर)	0.7816
2	424	निजी	एग्रीकल्चर (424)	0.5942 (हेक्टेयर)	0.5942
3	425	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.6494 (हेक्टेयर)	0.6494
4	487	निजी	एग्रीकल्चर (487)	0.2517 (हेक्टेयर)	0.2517
5	488	निजी	एग्रीकल्चर (488)	0.0694 (हेक्टेयर)	0.0694
6	489	निजी	एग्रीकल्चर (489)	0.416 (हेक्टेयर)	0.416
7	512	निजी	एग्रीकल्चर (512)	0.449 (हेक्टेयर)	0.449
8	829	निजी	एग्रीकल्चर (829)	0.3991 (हेक्टेयर)	0.3991
9	830	निजी	एग्रीकल्चर (830)	0.0179 (हेक्टेयर)	0.0179
10	831	निजी	एग्रीकल्चर (831)	0.8481 (हेक्टेयर)	0.8481
11	847	सरकारी	एग्रीकल्चर (847)	0.3732 (हेक्टेयर)	0.3732
12	848	सरकारी	एग्रीकल्चर (848)	0.6509 (हेक्टेयर)	0.6509
13	849	सरकारी	एग्रीकल्चर (849)	0.9888 (हेक्टेयर)	0.9888
14	857	सरकारी	एग्रीकल्चर (857)	0.4961 (हेक्टेयर)	0.4961
15	858	सरकारी	एग्रीकल्चर (858)	0.0136 (हेक्टेयर)	0.0136
16	861	सरकारी	एग्रीकल्चर (861)	0.4717 (हेक्टेयर)	0.4717
17	869	सरकारी	एग्रीकल्चर (869)	0.3487 (हेक्टेयर)	0.3487

18	870	सरकारी	एग्रीकल्चर (870)	0.0067 (हेक्टेयर)	0.0067
19	872	सरकारी	एग्रीकल्चर (872)	0.434 (हेक्टेयर)	0.434
20	879	सरकारी	एग्रीकल्चर (879)	0.9115 (हेक्टेयर)	0.9115
21	Railway	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (रेलवे)	0.1404 (हेक्टेयर)	0.1404
22	Road	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (रोड)	0.3048 (हेक्टेयर)	0.3048
Total					9.6168

[फा. सं. RW/NH/12014/170/2017-MAH(Zone-IV)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4405(E) .— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH361H in the stretch of land from Km. 38.06 to Km. 39.813 (Old Collector Office Premises, Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk, Latur) in the district of Latur in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO&CompetentAuthority,Ausa-Renapur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH361H in the stretch of land from Km. 38.06 to Km. 39.813 (Old Collector Office Premises, Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk, Latur) in the district of Latur in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: Latur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Renapur					
Village: Pangaon					
1	423	Private	Agriculture (423)	0.7816 (Hectare)	0.7816
2	424	Private	Agriculture (424)	0.5942 (Hectare)	0.5942
3	425	Private	Agriculture (425)	0.6494 (Hectare)	0.6494
4	487	Private	Agriculture (487)	0.2517 (Hectare)	0.2517
5	488	Private	Agriculture (488)	0.0694 (Hectare)	0.0694
6	489	Private	Agriculture (489)	0.416 (Hectare)	0.416
7	512	Private	Agriculture (512)	0.449 (Hectare)	0.449
8	829	Private	Agriculture (829)	0.3991 (Hectare)	0.3991
9	830	Private	Agriculture (830)	0.0179 (Hectare)	0.0179
10	831	Private	Agriculture (831)	0.8481 (Hectare)	0.8481
11	847	Government	Agriculture (847)	0.3732 (Hectare)	0.3732
12	848	Government	Agriculture (848)	0.6509 (Hectare)	0.6509
13	849	Government	Agriculture (849)	0.9888 (Hectare)	0.9888
14	857	Government	Agriculture (857)	0.4961 (Hectare)	0.4961
15	858	Government	Agriculture (858)	0.0136 (Hectare)	0.0136
16	861	Government	Agriculture (861)	0.4717 (Hectare)	0.4717
17	869	Government	Agriculture (869)	0.3487 (Hectare)	0.3487
18	870	Government	Agriculture (870)	0.0067 (Hectare)	0.0067
19	872	Government	Agriculture (872)	0.434 (Hectare)	0.434
20	879	Government	Agriculture (879)	0.9115 (Hectare)	0.9115
21	Railway	Government	Non Agriculture (Railway)	0.1404 (Hectare)	0.1404
22	Road	Government	Non Agriculture (Road)	0.3048 (Hectare)	0.3048
Total					9.6168

[F. No. RW/NH/12014/170/2017-MAH(Zone-IV)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director